R. M. M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part - II nd
Paper - VIth
Environmental Law

पोषणीय विकास की संभावकारिता में उत्तर-दक्षिण विवाद की भूमिका :-

पोषणीय विकास के कई सिद्धांत विकसित और विकासशील देशों के बीच हितों के संघर्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु स्वीकार किये गये हैं। स्टाकहोम सम्मेलन के पूर्व विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरा मतभेद और गलत फहमियाँ थीं। विकासशील देशों की यह धारणा थी कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे से असंगत और पर्यावरण की समस्या विकसित देशों की समस्या है, परंतु इस भ्रम को इस आधार पर दूर किया गया कि अविकास के कारण स्वयं पर्यावरण को खतरा है। इसलिए पर्यावरण किसी एक देश की समस्या न होकर विकसित और विकासशील दोनों देशों की समस्या है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने का प्रयास किया गया, फिर भी विकासशील देशों के अंतर्गत यह भय बना रहा कि कठोर पर्यावरणीय संरक्षण संबन्धी उपायों को अपनाने के कारण उनका विकास बाधित हो सकता है। जब कि विकासशील देशों की प्रथम वरीयता विकास है। विकासशील देशों

Scanned with CamScanner

की यह मान्यता रही है कि पर्यावरण प्रदूषण के सबसे ज्यादा खतरा विकसित देशों से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण पर संयामित खर्चों का वहन करना चाहिए। कहना न होगा कि रियो कोलाणा से पूर्व उत्तर और दक्षिण के राज्यों में कई मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतों में भिन्नता थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में समन्वय स्थापित किया गया और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग तथा प्रद्योगिकी के अंतरण का संकल्प लिया गया। परंतु विकसीत और विकासशील देशों के बीच मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान नारा उभरकर आया "Think globally, act locally". पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद नारा हो गया है, रियो को पुनः वापस लाओ। इससे स्पष्ट है कि विश्व स्तर पर विचार और स्थानीय स्तर पर कार्य की संकल्पना पूर्णतः सफल नहीं हो सकी है। पोषणीय विकास की दिशा में किये गये कार्य संतोषजनक नहीं रहे हैं।

यह तथ्य है कि जैवविविधता की स्वामित्व को लेकर उत्तर और दक्षिण के राज्यों को काफी विवाद है। विकासशील देश और विविधता में धनी है जबकि विकसित देश जैव प्रद्योगिकी में धनी है। विकासशील देश आनुवांशिक संसाधनों को अपनी संपत्ति मानते हैं। प्रौद्योगिक रूप से विकसित देश दूसरों को इनका निर्यात नहीं करना चाहते। दूसरी

तरफ अमेरिका जैसे विकसित राज्य विश्व के किसी भी कोने से आयातित आनुवंशिक पदार्थों पर अपने मालिकाना हक का दावा करते हैं। विकासशील देश अपने जैव विविधता वाले अपने क्षेत्रों को सामूहिक सम्पत्ति घोषित करने का विरोध करते हैं और इनपर अपने प्रभुसत्ता संपन्न अधिकार के संरक्षण की मांग करते हैं। विकसित देश आर्थिक हित के लिए वन्य जीवन के दोहन में निर्धन देशों के साथ प्रयोगिक हिस्सेदारी से हिचकते रहे हैं। जिसे पारिस्थितिकी-साम्राज्यवाद माना गया है। विकासशील देश, विशेषकर दक्षिण के देश, उत्तर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आनुवंशिक-दस्युता के शिकार हुए हैं।

उत्तर और दक्षिण के विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी अलगाव के दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तर और दक्षिण एक दूसरे पर निर्भर हैं यदि उत्तरी विकसित देशों में जैव प्रौद्योगिकी की सम्पन्नता है तो उसको उपयोगी बनाने के लिए जैव विविधता का सहयोग आवश्यक है। यही कारण है कि 1994 में जैव-विविधता अभिसमय पर अंतर सरकारी समिति ने आवासस्य स्थान पर आनुवांशिक संरक्षण की सिफारिश की। सन् 1996 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने पेटेंट विधानों में संशोधन कर जैव संसाधनों के संरक्षण करने वाले देशों के आभार्य संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग

के माध्यम से हिस्सेदारी की व्यवस्था की। पोषणीय विकास के संभावना व अनुकूल प्रगति सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा की स्थापना की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक सहयोग दे रहे हैं। परंतु उत्तर दक्षिण की मत भिन्नता जारी है। इसका मूल कारण यह है कि रियो सम्मेलन में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद विकसित देशों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन नहीं आ पाया है। (5) रियो घोषणा और जैवविविधता अभिसमय के अंतर्गत विनिमय संसाधनों का बहाव उचित और साझा हिस्सेदारी के माध्यम से दक्षिण को सुनिश्चित करना है जिसमें दक्षिण की जैव विविधता के वाणिज्यीकरण में दक्षिण को उचित हिस्सा मिले। यह इसलिए भी आवश्यक है कि दक्षिण देश अभिसमय के अंतर्गत दी गयी प्रतिबद्धता और दायित्व को पूरा कर सके। जैव प्रौद्योगिकी का उत्तरी देशों द्वारा दक्षिणी देशों को अंतरण जैविकीय विविधता की अदला-बदली और उनके उचित एवं सुविधा जनक शर्तों पर संरक्षण और पोषणीय उपयोग हेतु की जानी अपेक्षित है। कतिपय जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिक तकनीकी का बहाव उत्तर से दक्षिण को जा रहा है। इन दोनों में मूल अंतर है कि उत्तरी प्रौद्योगिकी बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संरक्षित है जब कि दक्षिणी प्रौद्योगिकी

इसको संरक्षित नहीं है। यह केवल संरक्षित और संचयित है जो मुफ्त दी जाती है। (4) विश्व की विस्तृत आनुवंशिक संपदा उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में है जो दक्षिणी देशों के अधिकार में है। परन्तु इस संपदा पर पहुँच उत्तर के देशों के हाथ में है। आनुवंशिक संसाधनों और जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्तरी देशों को होने वाले लाभों तक दक्षिणी देशों की पहुँच नहीं हो सकी है। जैव विविधता का आशय यह था कि आनुवंशिक प्रजातियों और प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का खुले आदान प्रदान सभी विकसित एवं विकासशील देशों की समृद्धि सुनिश्चित की जाए। परन्तु असमान संसार में सामान्य विरासत दुरुपयोग का अवसर प्रदान कर रहा है। परिणाम स्वरूप विकासशील देशों का जी-77 तैयार हो गया है जिसे चीन तथा भारत द्वारा क्योटो सम्मेलन में समर्थित किया गया। इसी दबाव के कारण विकासशील देशों द्वारा बाध्यकारी उत्सर्जन कमी के लक्ष्य के सम्बन्ध में ऐच्छिक भागीदारी सम्बन्धी पैराग्राफ को प्रोटोकॉल से हटा दिया गया। विकासशील देशों ने अपना मत रखा कि प्रमुख प्रदूषक देशों का दायित्व है कि वे ऊष्मा उत्पादक उत्सर्जन का अल्पीकरण करें और विकासशील देशों द्वारा स्वच्छ उद्योग विकसित करने में विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्रदान करें।

यह सही है कि रियो के माध्यम से वैश्विक अध्यापन प्रक्रिया का आरंभ हुआ है परन्तु उचित एवं अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

Scanned with CamScanner